



# फर्द अहकाम

स्थान उपखण्ड उाधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नाम बाबूलाल बनाम रामलाल

क्रमा संख्या/वर्ष 63/2018 (अपा): / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उअम पत्रा उअम वादी की ओर से साक्ष्य पेश की। वादी को साक्ष्य पेश कते हेतु न्यायद्वि ने एक ओर अम्तिर अअहर दिया जाका आगाकी पेशी पर साक्ष्य अपरअरु पेश को अन्यथा (अन्यथा) कादी साक्ष्य बन्ड का दी जावेगी। पत्रावली दि 26/7/24 को पेश वे।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p>	
26/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उअम नहीं। वक्त अअलत वाट-वाट वादी व उअम आधिकारता को आवाज लगवाई गई। वाट-वाट आवाज लगवाने के बाद भी वादी व उअम आधिकारता को ओर ले कोई भी उअलपत नहीं होने ले वादी अ वाट अअम हाजरी हाअम पैरवी से (वादिज अदिजा जाता है) पत्रावली केंलल शुआर होकर अअनअर ले अअम के बाद अअलीक दाबिल दफतर के।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p>	

